न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–3, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्या– 362 सन् 2016

सरकार बनाम रामसरन द्विवेदी उर्फ रामशरण आदि।

अपराध सं0–123/2016
धारा–41/411 भा0दं0सं0
थाना–जहानाबाद, फतेहपुर।

13.07.2017

पत्रावली पेश हुयी।
पुकार पर पक्ष अधिवक्ता उपस्थित आये।
अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते कार्यवाही स्थगित करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 7ब

प्रार्थनापत्र 7ब प्रार्थी/अभियुक्त राम शरण द्विवेदी की ओर से जरिये अधिवक्ता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय में आज प्रार्थी के नाम से विचाराधीन अन्य मुकदमा सत्र परीक्षण संख्या 362/2016 अ0सं0–123/16, धारा 41/411 भा.दं.सं. 3/207 एम0वी0एक्ट थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर के साथ अ0सं0 118/16, 119/16, 120/16, 121/16, 122/16 व 123/16 से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.05.2016 की सत्यप्रति दिनांकित 05.07.2017 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30.05.2016 के आदेशानुसार उपरोक्त अपराध संख्याओं 118/16 लगायत 123/16 से संबंधित सी.बी.सी.आई.डी. के द्वारा अग्रिम विवेचना कराये जाने के बावत् प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश की प्रति (जिसे उ0प्र0 शासन लखनऊ ने प्रार्थी के लखनऊ जिले के अधिवक्ता नवी अहमद खॉ जी को सूचनार्थ भेजा था) संलग्न का है। प्रार्थी ने उपरोक्त संलग्नकी का विवरण देते हुए एल0टी0नं0–362/2016 के साथ अपना शपथ पत्र भी दिया है जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि प्रार्थी पर लगाये गये अपराध संख्याओं 118/2016 लगायत 123/2016 में वर्तमान समय में सी.बी.सी.आई.डी. द्वारा विवेचना की जा रही है एवं शपथकर्ता के अधिवक्ता महोदय ने माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक तथा अन्य (2013) 5 उच्चतम न्यायालय केसेस 762 भी प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित शपथ पत्र के साथ संलग्न की है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि सी0बी0सी0आई0डी0 के द्वारा की जा रही अग्रिम विवेचना में प्रार्थी निर्दोष स्पष्ट हो जायेगा। चूँकि प्रार्थी का मुकदमा उपरोक्त अपराध संख्या भी वर्णित 118/16, 119/16, 120/16, 121/16, 122/16 व 123/16 में से है जिससे प्रार्थी के उपरोक्त मुकदमें में भी सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा अग्रिम विवेचना की जा रही है। न्यायहित में प्रार्थी के द्वारा एस0टी0नं0 362/2016 में आज दाखिल वर्णित संलग्न को व मुकदमा उपरोक्त में सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा अग्रिम विवेचना प्रचलित होने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त की कार्यवाही सी0बी0सी0आई0डी0 के द्वारा की जा रही विवेचना के निष्कर्ष आने तक स्थगित/मुल्तवी की जानी अति आवश्यक है। उपरोक्त मुकदमा की कार्यवाही सी0बी0सी0आई0डी0 की विवेचना के निष्कर्ष आने तक स्थगित/मुल्तवी किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया।

पत्रावली व उसपर उपलब्ध पुलिस केस डायरी एवं अन्य पुलिस प्रलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष जहानाबाद धर्मेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 05.04.2016 को समय 19.05 बजे अभियुक्त राम शरन द्विवेदी के दरवाजे के सामने ठकुराइन गली, कस्बा व थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर में मुखबिर की सूचना पर अटैची मोटर साइकिल में लेकर भागने का प्रयास करते समय, भागने का प्रयास करते समय पकडा गया और अभियुक्तगण एवं उनके पास से बरामद अटैची की तलाशी से चार अदद तमंचा 315 बोर, 30 अदद कारतूस जिन्दा 315बोर, एक अदद खोखा कारतूस 12बोर व 11 अदद जिन्दाए 6 अदद खोखा एवं चाकू 5 अदद, हाथ की घडी 6अदद, नकली नोट 17 अदद, विदेश करेंसी 4 अदद, मास्टर याबी 2 अदद, मोबाइल चार्जर 22 अदद, चार्जर कनेक्सर 35अदद, मोबाइल लीड 13अदद, मोबाइल वाहन चार्जर 5 अदद, मोबाइल फोन 45 अदद, मोबाइल बैट्री 54 अदद, राशन कार्ड 4अदद, मार्कसीट 1अदद, तांस पत्ता अश्लील चित्रयुक्त 51अदद, परिचय पत्र 11अदद, सीग बारह सिंगा 2अदद, मोहर 7अदद, आर0सी0 1अदद, डी.एल. 1अदद, अश्लील सी.डी. 55अदद, अन्य सी.डी.110 अदद, हैण्ड सेट कैनबुड 1 अदद, अटैची 2अदद, मोटर साइकिल 1अदद, बरामद किये गये जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 292क, 489ग,41/411,419,420,467,468,471,384,120बी आई0पी.सी0. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट व 52ए/68ए/66 प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 एवं 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 3/207 एम.वी.एक्ट के तहत थाना जहानाबाद में अलग–अलग अपराध के तहत अंकित कराया गया है। विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध में विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अलग–अलग अपराध में अलग–अलग आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया । अभियुक्तगण को धारा 207 भा0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन प्रलेखों की नकलें प्रदान करते हुए न्यायालय द्वारा दिनांक 24.09.16 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

अभियुक्तगण के उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण को मुकदमें में झूॅठा फॅसाया गया है और मामले की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है जिसमें पूर्ण विश्वास है कि सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही अग्रिम विवेचना में अभियुक्तगण पूर्ण रूप से निर्दोष साबित होगें। ऐसी स्थित में प्रस्तुत मामले में सी0बी0सी0आई0डी0 के द्वारा की जा रही विवेचना के निष्कर्ष आने तक कार्यवाही स्थगित किया जाना न्याय संगत होगा।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त पत्रावली के अवलोकन से मैं पाता हूॅ कि अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला अभियोजन कथानांक के अनुसार इस प्रकार है कि थानाध्यक्ष जहानाबाद धर्मेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 05.04.2016 को समय 19.05 बजे अभियुक्त राम शरन द्विवेदी के दरवाजे के सामने ठकुराइन गली, कस्बा व थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर में मुखबिर की सूचना पर अटैची मोटर साइकिल में लेकर भागने का प्रयास करते समय, भागने का प्रयास करते समय पकडा गया और

अभियुक्तगण एवं उनके पास से बरामद अटैची की तलाशी से चार अदद तमंचा 315 बोर, 30 अदद कारतूस जिन्दा 315बोर, एक अदद खोखा कारतूस 12बोर व 11 अदद जिन्दाए 6 अदद खोखा एवं चाकू 5 अदद, हाथ की घडी 6अदद, नकली नोट 17 अदद, विदेश करेंसी 4 अदद, मास्टर याबी 2 अदद, मोबाइल चार्जर 22 अदद, चार्जर कनेक्सर 35अदद, मोबाइल लीड 13अदद, मोबाइल वाहन चार्जर 5 अदद, मोबाइल फोन 45 अदद, मोबाइल बैट्री 54 अदद, राशन कार्ड 4अदद, मार्कसीट 1अदद, तांस पत्ता अश्लील चित्रयुक्त 51अदद, परिचय पत्र 11अदद, सीग बारह सिंगा 2अदद, मोहर 7अदद, आर0सी0 1अदद, डी.एल. 1अदद, अश्लील सी.डी. 55अदद, अन्य सी.डी.110 अदद, हैण्ड सेट कैनबुड 1 अदद, अटैची 2अदद, मोटर साइकिल 1अदद, बरामद किये गये जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 292क, 489ग,41/411,419,420,467,468,471,384,120बी आई0पी. सी0. व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट व 52ए/68ए/66 प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 एवं 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 व 3/207 एम. वी.एक्ट के तहत थाना जहानाबाद में अलग–अलग अपराध के तहत अंकित कराया गया है।

जहॉ अभियुक्त के द्वारा प्रार्थनापत्र आरोप पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाता है वहॉ दस्तावेजी पुलिस रिपोर्ट और केस डायरी की भलीभॉति परीक्षा करने के बाद न्यायालय अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला आरोप विरचित किये जाने हेतु पाता है तो मामले की कार्यवाही को स्थगित करने के अभिवचन को अस्वीकार्य किया जा सकता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप की बिरचना की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

विजयभाई बनाम स्टेट आफ राजस्थान 1990 सी0आर0एल0 जे0– 1734, में यह अभिधारित किया गया है कि अभिलेख की परीक्षा किये जाने में कोई अवैधता नहीं थी, क्योंकि न्यायालय को विचार करना पडता कि साक्ष्य की मौजूद साक्षिक सामग्री अभियुक्त को अपराध से युक्ति युक्त रूप से सम्बद्ध कर देती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **ओम प्रकाश शर्मा बनाम सी0बी0आई0, ए0आई0आर0 2000 एस0सी0– 2335,** में यह व्यवस्था दी है कि अभियुक्त का उन्मोचन करने के लिए कारण स्पष्ट करना जरूरी है। यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप बिरचित करने है तो कारण उल्लिखित करना जरूरी नहीं है। आरोप बिरचित करते समय न्यायालय को मात्र पुलिस रिपोर्ट और उसके धारा 173 दं0प्र0सं0 में भेजे गये दस्तावेजों को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय यदि जरूरी समझे तो अभियुक्त को सुने जाने का अवसर प्रदान कर सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा दायर किये गये दस्तावेजों पर भरोसा करके जो कि उसके निर्दोष होने का निष्कर्ष निकाला था वह उचित नहीं था।

स्टेट आफ एन्टी करैप्शन ब्यूरो बनाम पी0 सत्याप्रकारन (1999) एस.सी.सी. (क्रिमिनल) 373 एक अन्य विधि व्यवस्था **कान्ती भद्रशाह बनाम स्टेट आफ बेस्ट बंगाल ए0 आई0आर0 2000 एस0सी0–522**, माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **अरूण ब्यास बनाम अमिता ब्यास ए0आई0आर0 1990 एस0सी0 2071,** में व्यवस्था दी है कि विचारण न्यायालय के लिए आरोप विरचित करने के लिए कारण युक्त तथा विस्तृत निर्णय लिखना जरूरी नहीं है।

अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किये गये दस्तावेजों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि यह बिलकुल निश्चित है कि आरोप विरचित करने के समय न्यायालय को दस्तावेजों की विशेष छानबीन जरूरी नही है उसे यह पता लगाना जरूरी नहीं है कि अभियुक्त के विरूद्ध मामला बनता है या नहीं। उसे केलव यह देखना होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है। यह भी निश्चित नियम है कि जब अभियुक्त आरोप बिरचित करते समय आरोपों के अभिखण्डन के लिए प्रार्थनापत्र दायर करता है न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जब तक यह निश्चित न हो जाये कि न्यायहित में अभियुक्त के प्रति अन्याय होने से रोकने के लिए अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से अभिखण्डित करना जरूरी है। ऐसे आदेश अपवादित मामलों में विरल परिस्थितियों में ही पारित किया जाना चाहिए। यही विधि व्यवस्था **स्टेट आफ देहली बनाम ज्ञान देवी ए0आई0आर0 2001 एस0सी0—40,** में दी गयी है।

ए0आई0आर0 2000 एस0सी—665 एम0पी0 बनाम एस0बी0जौहरी, ए0आई0 आर0 1991 एस0सी0 1208 स्टेट आफ बिहार बनाम राज नरायन एवं **ए0आई0आर0 1997 एस0सी02041 स्टेट आफ महाराष्ट् बनाम प्रिया शरन महाराज** व **श्रीमती ओमवती तथा अन्य बनाम देहली एडमिनिस्ट्रेशन तथा अन्य 2001(2) यू0पी0सी0आरआर 85(सुको)** विधि व्यवस्था में इसे स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर दिया है कि ''अधिनियम की धारा 227 के अनुसार आदेश पारित करने की स्टेज पर न्यायालय को यह जानने के लिए कि अभियुक्त के विरूद्ध आगे बढने के लिए पर्याप्त आधा है या नहीं, साक्ष्य का परिशीलन करना होगा। उसका विचार करने पर यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अधिनियम की धारा 228 के अनुसार आरोप बिरचित करने के लिए आगे बढेगा।''

ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 2149 सोमा चकवर्ती बनाम स्टेट व **ए0आई0 आर0 1996 एस0सी0 1744 स्टेट आफ महारास्ट् बनाम सोमनाथ थापा** दी गयी है।

पत्रावली व उस पर उपलब्ध पुलिस केस डायरी एवं अन्य पुलिस प्रलेखों के परिशीलन से स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष जहानाबाद धर्मेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 05.04.2016 को समय 19.05 बजे अभियुक्त राम शरन द्विवेदी के दरवाजे के सामने ठकुराइन गली, कस्बा व थाना जहानाबाद जिला फतेहपुर में मुखबिर की सूचना पर अटैची मोटर साइकिल में लेकर भागने का प्रयास करते समय, भागने का प्रयास करते समय पकडा गया और अभियुक्तगण एवं उनके पास से बरामद अटैची की तलाशी से चार अदद तमंचा 315 बोर, 30 अदद कारतूस जिन्दा 315बोर, एक अदद खोखा कारतूस 12बोर व 11 अदद जिन्दाए 6 अदद खोखा एवं चाकू 5 अदद, हाथ की घडी 6अदद, नकली नोट 17 अदद, विदेश करेंसी 4 अदद, मास्टर याबी 2 अदद, मोबाइल चार्जर 22 अदद, चार्जर कनेक्सर 35अदद, मोबाइल लीड 13अदद, मोबाइल वाहन चार्जर 5 अदद, मोबाइल फोन 45 अदद, मोबाइल बैट्री 54 अदद, राशन कार्ड 4अदद, मार्कसीट 1अदद, तांस पत्ता अश्लील चित्रयुक्त 51अदद, परिचय पत्र 11अदद, सीग बारह सिंगा 2अदद, मोहर 7अदद, आर0सी0 1अदद, डी.एल. 1अदद, अश्लील सी.डी. 55अदद, अन्य सी.डी.110 अदद, हैण्ड सेट कैनबुड 1 अदद, अटैची 2अदद, मोटर साइकिल 1अदद, बरामद किये गये।

जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं में ऊपर अभिव्यक्त किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष की है कि इस स्तर पर प्रस्तुत मामले की कार्यवाही को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है और अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप बिरचित किया जाना न्यायोचित होगा। तदृनुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत कार्यवाही स्थगित करने का प्रार्थनापत्र 7ब इस स्तर पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 7ब निरस्त किया जाता है।

पत्रावली लंच बाद वास्ते विरचित किये जाने आरोप पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं0–3,फतेहपुर।